फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी
प्रवीण कुमार पुत्र वेलारामजी जाति चौधरी
निवासी चौधरियों का वास खीमेल तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थीगण
अमृती देवी पुत्री सेसाराम जाति सीरवी चौधरी
निवासी आईमामता वडेर के सामने, मौखमपुरा
तहसील बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं. GCMS No. 2025/329
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 148(क), 151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
17.06.25	वकील प्रार्थी श्री छगनलाल प्रजापत उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 148(क), 151 सीपीसी विरूद्व अप्रार्थीगण पेश कर ग्राम खीमेल के खसरा नंबर 314, 1296, 1697, 1716/315 कुल रकबा 2.5900 हैक्टर के संबंध में किसी प्रकार की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रार्थी को बिना सुने पारित नहीं किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण द्वारा वर्णित खसरों के संबंध में वादपत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर वकील प्रार्थी को सूचित किया गया। दोनों पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुये। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात वर्णित खसरों के संबंध में आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रह जाने से उक्त प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाकर मूल वाद के साथ संलग्न होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner